राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग

क्रमांकः प.3(313)नविवि/3/2011 जयपुर, दिनांक 15 JAN 2021

–:आदेशः–

दिनांक 17.06.1999 से पूर्व तथा 17.06.1999 के पश्चात् कृषि भूमि पर बसी हुई आवासीय कॉलोनियों के भूखण्डों के नियमन हेतु समसंख्यक आदेश दिनांक 11.02.2020 व 11.06.2020 को आदेश जारी किए गए थे, किंतु आशातीत संख्या में पट्टे जारी नहीं किए जा सके हैं। अतः इन आदेशों की निरन्तरता में राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि का अकृषि उपयोग के लिए अनुज्ञा व आवंटन) नियम, 2012 एवं इन नियमों के तहत जारी किए गए आदेशों व परिपत्रों के मध्यनजर निम्नानुसार कार्यवाही की जानी है :–

1. **एक लाख की आबादी तक के निकाय**
   (i) जोनल डवलपमेंट प्लान की आवश्यकता नहीं है।
   (ii) पूर्व स्वीकृत ले–आउट प्लान के अनुसार पट्टे जारी किए जाएं।
   (iii) मास्टर प्लान में अनुज्ञेय उपयोग के अनुसार टोटल स्टेशन सर्वे करवाकर अथवा गृह निर्माण समिति/खातेदार/भूखण्डधारियों/ विकासाकर्ता द्वारा प्रस्तुत किए गए ले–आउट प्लान, भू–राजस्व अधिनियम की धारा 90–ए (8)/90–ए(5) के अंतर्गत स्वप्रेरणा से कार्यवाही कर ले–आउट प्लान स्वीकृत किए जाकर पट्टे दिये जावें।
2. **एक लाख से अधिक आबादी के निकाय**
   (i) स्वीकृत ले–आउट प्लान के अनुसार पट्टे जारी किए जाएं। साथ ही स्वीकृत ले–आउट प्लानों को कमिटमेंट मानते हुए जोनल डवलपमेंट प्लान में समायोजित किया जावे।
   (ii) मास्टर प्लान में अनुज्ञेय उपयोग के अनुसार टोटल स्टेशन सर्वे करवाकर अथवा गृह निर्माण समिति/खातेदार/भूखण्डधारियों/ विकासकर्ता द्वारा प्रस्तुत किए गए ले–आउट प्लान, भू–राजस्व अधिनियम की धारा 90–ए (8)/90–ए(5) के अंतर्गत स्वप्रेरणा से कार्यवाही कर ले–आउट प्लान स्वीकृत किए जावें। साथ ही स्वीकृत ले–आउट प्लानों का जोनल डवलपमेंट प्लान में समायोजन कर पट्टे दिय जावें।
   आदेश दिनांक 11.06.2020 के अनुसार निर्धारित प्रोफार्मा में सूचना भी अविलम्ब भिवजायें।

आज्ञा से,

(मनीष गोयल)
संयुक्त शासन सचिव–प्रथम

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. निजि सचिव, माननीय मंत्री, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान सरकार।
2. निजि सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नविवि।
3. निजि सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान सरकार।
4. निजि सचिव, प्रमुख शासन सचिव, प्रशासनिक सुधार विभाग, राजस्थान सरकार।
5. आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
6. निदेशक सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, राजस्थान सरकार।
7. संयुक्त शासन सचिव –प्रथम/द्वितीय/तृतीय, नविवि।
8. आयुक्त, जयपुर/जोधपुर/अजमेर विकास प्राधिकरण।
9. सचिव, समस्त नगर विकास, न्यास।
10. वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी/उप विधि परामर्शी, नविवि, जयपुर।
11. वरिष्ठ उप शासन सचिव, नगरीय विकास को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
12. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव–प्रथम

Scanned with CamScanner